न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद संख्या 102/2012

1. श्रीमति केलीदेवी पत्नी स्व0 भोमसिंह
2. प्रभूसिंह पुत्र स्व0 श्री भोमसिंह
3. शंकरसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह
4. बचनसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह

सभी जाति रावत एवं निवासीगण ग्राम राजोरिया का बाडिया श्यामगढ तहसील मसूदा जिलाअजमेर।

.....वादीगण

बनाम

1. सुवा पुत्र स्व0 बाबू मेरात
2. हाकम पुत्र स्व0 बाबू मेरात
3. पप्पू पुत्र स्व0 बाबू मेरात
4. दिलदार पुत्र स्व0 गुला उर्फ गुलाब मेरात
5. लक्ष्मण पुत्र स्व0 दीना मेरात
6. असराफ पुत्र स्व0 दीना मेरात
7. सोहन पुत्र स्व0 निजाम मेरात
8. भंवर पुत्र स्व0 निजाम मेरात
9. शमशेर पुत्र स्व0 अजमाल मेरात
10. सोहन पुत्र स्व0 अजमाल मेरात
11. जमीला पत्नि मोहन मेरात
12. हसीना पुत्री स्व0 मोहन मेरात
13. देबी पुत्र बहादुर मेरात

समस्त जाति मेरात निवासीगण ग्राम लाखीना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 08.05.2017

इस वाद पत्र में वादियागण ने साराशतः निवेदन किया है कि उनके पति/ पिता स्व0 श्री भोमसिंह पुत्र कालूसिंह को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता स्व0 बाबू पुत्र मंगला ने ग्राम नीमगढ भू0 अ0 नि0 क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा स्थित आराजी ख0 न0 534 रक्बा 1–05–00 बीघा में से 0–12–10 बिस्वा भूमि दिनांक 14–02–1972 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख विक्रय कर कब्जा भूमि संभला दिया था। लेकिन विक्रय विलेख में सहवन से ख0 न0 534 की जगह 535 टाईप हो गया था। क्रेता भोमसिंह ने खरीदशुदा आराजी में अपने आपको मालिक मानते हुए इस बाबत् अमल दरामद की जानकारी नही की। वादीगण के जानकारी करने पर विवादित आराजी बेचानकर्ता के पुत्रगण एवं परिवार के सदस्यों

प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के नाम चली आ रही है जिसके कारण प्रतिवादीगण विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल करने पर आमाद है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद स्वीकार कर यह घोषित किया जावे कि वादीगण विवादित आराजी में खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई सरोकार नही है। विवादित आराजी में वादीगण का नाम लगाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी से निषेध किया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 पर बावजूद सम्मन तामीली के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही की गई। शहादत वादी में वादिया केली व वादीगण प्रभू शंकर व बच्चन सिंह के शपथ पत्र पेश हुए जिनमें वाद कथन ही दोहराए है। बहस विव्दान अभिभाषक वादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी स्व0 बाबूसिंह ने वादीगण के पति व पिता को बेचान करना दस्तावेज 14.02.1972 से साबित पाया जाता है।

प्रतिवादीगण का अनुपस्थित रहना वाद कथन को सही साबित करता है। अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है। और वादीगण को ग्राम नीमगढ भू0 अ0 नि0 क्षेत्र खरवा स्थित आराजी ख0 न0 534 मि0 रक्बा 0–12–10 बिस्वा में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है और यथानुसार विवादित आराजी में वादीगण के नाम लगाए जाने के आदेश पारित किये जाते है।

प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारित कर वादीगण के विवादित आराजी में चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलंदाजी से निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8.05.2017 आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी महोदय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 11:39:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: